

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पाटन, जिला दुर्ग की स्थापना हेतु ₹ 1.00 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	पद संख्या
1.	छात्रावास अधीक्षक	6	1
2.	चतुर्थ श्रेणी	आकस्मिक स्थापना	3
3.	अंशकालिक स्वीपर	कलेक्टर दर	1
योग			5

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 1114.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 03 से 04

मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना अंतर्गत भण्डार तथा कच्चा माल हेतु ₹ 42.00 लाख तथा दवाईयाँ हेतु ₹ 42.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 84,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 05 से 08

कोविड-19 के संक्रमण का रोकथाम एवं उपचार के लिए कार्यालय व्यय अंतर्गत ₹ 369.60 लाख, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ अंतर्गत ₹ 158.40 लाख, सामग्री और पूर्तियाँ अंतर्गत ₹ 2544.00 लाख एवं मशीन और उपकरण अंतर्गत ₹ 1920.00 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 4992.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 49,92,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 09 से 10

केन्द्र प्रवर्तित योजना "Emergency Response and Health System Preparedness Package" Phase II अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं उपचार के लिए ₹ 4507.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 45,07,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

एन.ए.ए. 2235

मद क्रमांक-11 से 12

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को गणवेश प्रदाय हेतु राशि ₹ 32.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 से 14

पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 280.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,80,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 15 से 16

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹ 3739.42 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 37,39,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 17 से 18

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹ 600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 19 से 21

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹ 8430.00 लाख का व्यय संभावित है। अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 84,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 22

एनीकट/स्टापडेम योजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्यो को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है:-

1. जांजगीर-चांपा जिले में राम वनगमन पथ का पर्यटन विकास के अंतर्गत शिवरीनारायण में घाट पर कियोस्क का निर्माण कार्य की अनुमानित लागत ₹30.00 लाख है। जिस पर इस वर्ष ₹30.00 लाख व्यय संभावित है।
2. जांजगीर-चांपा जिले में राम वनगमन पथ का पर्यटन विकास के अंतर्गत शिवरीनारायण में घाट विकास कार्य की अनुमानित लागत ₹496.00 लाख है। जिस पर इस वर्ष ₹496.00 लाख व्यय संभावित है।
3. जांजगीर-चांपा जिले में राम वनगमन पथ का पर्यटन विकास के अंतर्गत शिवरीनारायण में घाट मार्ग में विकास कार्य की अनुमानित लागत ₹6.65 लाख है। जिस पर इस वर्ष ₹6.65 लाख व्यय संभावित है।
4. जांजगीर-चांपा जिले में राम वनगमन पथ का पर्यटन विकास के अंतर्गत शिवरीनारायण में सिगनेस कम्पोनेट कार्य की अनुमानित लागत ₹2.99 लाख है। जिस पर इस वर्ष ₹2.99 लाख व्यय संभावित है।
5. जांजगीर-चांपा जिले में राम वनगमन पथ का पर्यटन विकास के अंतर्गत शिवरीनारायण में विद्युतीकरण कार्य की अनुमानित लागत ₹44.60 लाख है। जिस पर इस वर्ष ₹44.60 लाख व्यय संभावित है।
6. जांजगीर-चांपा जिले में राम वनगमन पथ का पर्यटन विकास के अंतर्गत शिवरीनारायण में विद्युतीकरण के सजावट एवं वाटर फाऊन्डेशन कार्य की अनुमानित लागत ₹597.00 लाख है। जिस पर इस वर्ष ₹597.00 लाख व्यय संभावित है।
7. जांजगीर-चांपा जिले में राम वनगमन पथ का पर्यटन विकास के अंतर्गत शिवरीनारायण में लैण्ड स्केपिंग कार्य की अनुमानित लागत ₹14.76 लाख है। जिस पर इस वर्ष ₹14.76 लाख व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 11,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 23

मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना हेतु ₹990.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹9,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

कृषि पंपों का ऊर्जाकरण योजना हेतु ₹1842.24 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹18,42,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 25

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) हेतु ₹478.92लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹4,78,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 26

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रत्याभूति के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा लिये जाने वाले ऋण से पोषित निर्माण कार्यों में से स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों के लिए अपरीक्षित नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। कार्यों का विवरण:-

1. जिला बेतवा के नांदघाट मुंगेली मार्ग का मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण कार्य लं. 23.00 किमी. अनुमानित लागत ₹1100.00 लाख।
2. सरायपाली उमरिया भंवरपुर बड़ेसाजापाली मार्ग किमी. 1 से 14/6=13.50 किमी. उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य अनुमानित लागत ₹3150.00 लाख।
3. जिला राजनांदगांव के चारभाठा से बिरेझर मार्ग लं. 3.40 किमी. का मजबूतीकरण अनुमानित लागत ₹ 384.17 लाख।

उपरोक्त कार्यों पर होने वाला व्यय कारपोरेशन द्वारा लिये जाने वाले ऋण राशि से किया जायेगा। अतः इस प्रयोजनों हेतु ₹ 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5275

मद क्रमांक 27

संचार क्रान्ति योजना हेतु ₹1200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 28

नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण योजना हेतु ₹804.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹8,04,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।